

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बून्दी (राजस्थान)

कार्यालय आदेश


श्रीमान् शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक: प.17(2)शिक्षा-2 /2003 जयपुर, दिनांक: 08.05.2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक: 24.5.2017 तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/ एफ-1(ए)/3बी/2017/ दिनांक 25.5.2017 के क्रम में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों /कार्मिकों का माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद एवं विषय पर समायोजन इनके नाम के सम्मुख विद्यालय में दिनांक 3.6.17 को की गई कांउसलिंग मे लिये गये विकल्पपत्र के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार किया जाता है। इनका वेतन माह जून 2017 से समायोजित/पदस्थापित विद्यालय से ही आहरित होगा।

संबंधित संस्थाप्रधान/कार्यालयाध्यक्ष कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लें :

1. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात ही कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाये अन्यथा सूचना इस कार्यालय को दें।
2. संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/लम्बे समय से अनुपस्थिति हो/निलम्बित हो/न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
3. पंचायत राज विभाग के अर्न्तगत नियुक्त अध्यापक जिनका नियम 6डी के तहत चयन नहीं किया गया है उनको कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।
4. राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम 2011 के तहत समायोजित अध्यापक को शहरी क्षेत्र में कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा सूचना तत्काल इस कार्यालय को दें।

समायोजित/पदस्थापित स्थान पर दिनांक: 20.06.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। संबंधित संस्थाप्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची


(रमेश चन्द शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बून्दी

दिनांक: 3.6.17

क्रमांक: जिशिअ/मा/बू/संस्था-2/फा.-तृ.श्रे.अ.समायोजन/संस्कृत/2017/195
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, महोदय शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उपनिदेशक, महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, संभाग, कोटा
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, बून्दी/समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
6. संबंधित संस्थाप्रधान/कार्मिक।
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।


(रमेश चन्द शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बून्दी


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बून्दी

अध्यापक ग्रंथ-III लेवल-2 संस्कृत एवं शारीरिक शिक्षक ग्रंथ-III (रामावि/राउमावि में मर्ज स्टाफ) की दिनांक 3.6.2017 को हुई काउंसलिंग में संबंधित कार्मिकों द्वारा दिये गये विकल्प पदस्थापन स्थान के अनुसार निम्नानुसार पदस्थापन किया जाता है ।

कस	6 D SN	कार्यरत विद्यालय का नाम	ब्लॉक का नाम	नाम शिक्षक	अध्यापक का लेवल	विषय	महिल T/ पुरुष	पदस्थापन स्थान
1	716	रा.उ.प्रा.वि. बालिका भीया	के०पाटन	श्री हरिशंकर नागर	LEVAL-2	Sanskrit	M	राबाउमावि के०पाटन
2	1013	रा.उ.प्रा.वि.लुहार कटला	बून्दी	संदीप अग्रवाल	LEVAL-2	Sanskrit	M	राउमावि सिलोर
1		रा.उ.प्रा.वि. बालिका के.पाटन	के०पाटन	श्रीमती आशा रानी		PTI	F	रामावि सूतडा
2		रा.उ.प्रा.वि. खोजागेट,बून्दी	बून्दी	इशहाक मोहम्मद		PTI	M	रामावि बंसोली
3		रा.उ.प्रा.वि. बाल चन्द पाड़ा	बून्दी	मोहम्मद आरिफ		PTI	M	राउमावि बुघपुरा
4		रा.उ.प्रा.वि.लुहार कटला	बून्दी	नासिर हुसैन		PTI	M	रामावि इन्द्रपुरिया
5		राउप्रावि ओल्ड देई	नैनवा	श्री रूस्तम अली		PTI	M	रामावि सुन्थली

शिक्षक संख्या L2

P.E.T


जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बून्दी